फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 /2022

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर
	14/8/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 14/8/23 को पेश हो।	
	31/7/23	प्रार्थी/प्रतिवादी गिर्राज प्रसाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC का पेश किए जाने से पत्रावली आज की पेशी में ली गई। प्रार्थी गिर्राज स्वयं उप०। अप्रार्थी/वादी तहसीलदार जोबनेर उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम करणसर की आराजी ख०नं० 314/15 में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर केवल कृषि कार्य ही किया जाता है। केवल सड़क एवं निर्माण कार्य को हटा लिया गया है। उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी की जाकर पशु चराने, कृषि कार्य में काम में ली जा रही है। ऐसी स्थिति में वाद एवं प्रार्थना पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण वाद एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/प्रार्थना पत्र दिनांक 28/7/23 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक 810 दिनांक 28/7/23 के अनुसार अप्रार्थी/वादी द्वारा इस आशय का कथन किया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा ग्राम करणसर की आराजी ख०नं० 314/15 पर	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

फर्द अहकाम

राज. सरकार **बनाम** गिरीराज प्रसाद वगैरह

न्यायालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

सं. /202.......

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/7/23	ग्रेवल सड़क व निर्माण कार्य हटा लिया गया है तथा कृषि भूमि में केवल कृषि कार्य किया जा रहा है। पटवारी हल्का करणसर की रिपोर्ट दिनांक 24/7/23 द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि मौके पर खाली है। इस तथ्य की तार्कीद हल्का गिरदावर करणसर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 25/7/23 द्वारा की गई है। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध वाद एवं प्रार्थना पत्र इसी आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कॉलोनी विकसित कर सड़क डालकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है अर्थात कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 28/7/23 के अनुसार उक्त भूमि में से ग्रेवल सड़क हटा ली गई है तथा भूमि वर्तमान में पशु चराने में काम में आ रही है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	